इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 518] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011—अग्रहायण 4, शक 1933

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. 24644-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में **मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011** (क्रमांक 34 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 25 नवम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३४ सन् २०११

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

भाग एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,—

(१) धारा १२९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

नगरपालिक लेखाओं की संपरीक्षा.

"१२९. (१) मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४३ सन् १९७३) की धारा ४ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक निगम के वार्षिक लेखे उक्त अधिनियम के अधीन संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपरीक्षा के अध्यधीन होंगे तथा निगम ऐसे संपरीक्षा शुल्क के भुगतान का दायी होगा जैसा कि राज्य सरकार, समय-समय पर, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे.

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन, निगम के लेखाओं की संपरीक्षा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा नहीं की जाती है तो निगम को राज्य सरकार की स्वीकृति के अध्यधीन रहते हुए बाहरी अभिकरण से अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराने का विकल्प होगा.".

(२) धारा १३०-क एवं १३०-ख को क्रमशः धारा १३०-ख एवं १३०-ग के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित धारा १३०-ख के पूर्व निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षा का तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण.

"१३०-क (१) धारा १२९ के अधीन, निगम के लेखे, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे तथा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक निगमों की संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण प्रदान करेंगे.

(२) निगमों की, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक संपरीक्षित रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी जो उक्त रिपोर्टों को विधान सभा के पटल पर रखवाएगा.".

(३) धारा २९२-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"२९२-ख. (१) कालोनियों के विकास की अनुज्ञा आयुक्त द्वारा दी जाएगी और आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार को होगी. **कालोनियों का विकास.**

(२) (क) इस अधिनियम और इस निमित्त बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन कालोनी का विकास करते समय कोई कालोनाइजर, जिसे धारा २९२-क के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए पूर्ण विकसित भू-खण्ड या निर्मित आवास गृह उपलब्ध कराएगा.

(ख) ऐसे भू-खण्डों या आवास गृहों का आकार, संख्या तथा अवस्थिति ऐसी होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.

(३) उपधारा (२) में उल्लिखित ऐसे भू-खण्डों या आवास गृहों का मूल्य, तथा उन व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया जिन्हें कि वे कालोनाइजर द्वारा बेचे जा सकेंगे, ऐसी होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.

(४) ऐसी भूमि के संबंध में, जिस पर कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, १९७६ (१९७६ का ३३) लागू था, कालोनाइजर को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए विहित क्षेत्र में, विहित आकार के विकसित भू-खण्डों को आरक्षित रखना होगा.

(५) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (२) में उल्लिखित भू-खण्डों या आवास गृहों के अतिरिक्त या उनके बदले में, राज्य सरकार, ऐसे मामलों में, जिनमें कि वह समुचित समझे, आश्रय शुल्क अधिरोपित कर सकेगी, जो ऐसी रीति में अवधारित किया जाएगा जो कि विहित की जाए.

(६) आश्रय शुल्क ऐसी रीति में संग्रहीत किया जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा जो कि विहित की जाए.".

(४) धारा ३०८-ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"३०८-ग. (१) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा २९३ से २९९ और धारा ३०० से ३०८-क के अधीन भवन नियंत्रण के संबंध में आयुक्त की शक्तियां, किसी औद्योगिक क्षेत्र अथवा विकास केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले भवनों के संबंध में, यथास्थिति, जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक या औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के प्रबन्ध संचालक या औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम के प्रबंध संचालक की अध्यक्षता वाली समिति में, निहित होंगी. कलक्टर और संबंधित निगम के आयुक्त, प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि ऐसी समिति का सदस्य होगा. **औद्योगिक क्षेत्रों और विकास केन्द्रों के संबंध में भवन नियंत्रण की शक्ति.**

(२) उपधारा (१) के अधीन समिति में निहित शक्तियों का ऐसी रीति में प्रयोग किया जाएगा जैसी कि विहित की जाए.

(३) उपधारा (१) के अधीन भवन अनुज्ञा और उसके विनियमन के संबंध में उद्गृहीत समस्त शुल्क तथा प्रभार नगरपालिक निधि में जमा किए जाएंगे.".

भाग दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१

(क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,—

(१) धारा १२१ की उपधारा (१) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "मध्यप्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, १९३३ (क्रमांक ९ सन् १९३३) की धारा ३", के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४३ सन् १९७३) की धारा ४" स्थापित किए जाएं.

(२) धारा १२२-क तथा १२२-ख को धारा १२२-ख तथा धारा १२२-ग के रूप में क्रमशः पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित धारा १२२-ख के पूर्व, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षा का तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण.

"१२२-क (१) धारा १२१ के अधीन परिषदों के लेखे संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे तथा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक परिषदों की संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण प्रदान करेंगे.

(२) परिषदों की, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक संपरीक्षित रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी जो कि उक्त रिपोर्टों को विधान सभा के पटल पर रखवाएगा.".

(३) धारा १८७-ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

औद्योगिक क्षेत्रों और विकास केन्द्रों के संबंध में भवन नियंत्रण की शक्ति.

"१८७-घ. (१) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा १८७, १८७-क, १८८, १८९, १९० और १९१ के अधीन भवन नियंत्रण के संबंध में परिषद् की शक्तियां, किसी औद्योगिक क्षेत्र अथवा विकास केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले भवनों के संबंध में, यथास्थिति, जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक या औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के प्रबंध संचालक या औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम के प्रबंध संचालक की अध्यक्षता वाली समिति में निहित होंगी. कलक्टर का एक प्रतिनिधि और संबंधित नगरपालिका का मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी समिति का सदस्य होगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन समिति में निहित शक्तियों का ऐसी रीति में प्रयोग किया जाएगा जैसी कि विहित की जाए.

(३) उपधारा (१) के अधीन भवन अनुज्ञा और उसके विनियमन के संबंध में उद्गृहीत समस्त शुल्क तथा प्रभार नगरपालिक निधि में जमा किए जाएंगे.".

(४) धारा ३३९-ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

कालोनियों का विकास.

"३३९-ख. (१) कालोनियों के विकास की अनुज्ञा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार को होगी.

(२) (क) इस अधिनियम और इस निमित्त बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन कालोनी का विकास करते समय कोई कालोनाइजर, जिसे धारा ३३९-क के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए पूर्ण विकसित भू-खण्ड या निर्मित आवास गृह उपलब्ध कराएगा.

(ख) ऐसे भू-खण्डों या आवास गृहों का आकार, संख्या तथा अवस्थिति ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.

(३) उपधारा (२) में उल्लिखित ऐसे भू-खण्डों या आवास गृहों का मूल्य, तथा उन व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया जिन्हें कि वे कालोनाइजर द्वारा बेचे जा सकेंगे, ऐसी होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.

(४) ऐसी भूमि के संबंध में, जिस पर कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, १९७६ (१९७६ का ३३) लागू था, कालोनाइजर को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए विहित क्षेत्र में, विहित आकार के विकसित भू-खण्डों को आरक्षित रखना होगा.

(५) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (२) में उल्लिखित भू-खण्डों या आवास गृहों के अतिरिक्त या उनके बदले में, राज्य सरकार, ऐसे मामलों में, जिनमें कि वह समुचित समझे, आश्रय शुल्क अधिरोपित कर सकेगी, जो ऐसी रीति में अवधारित किया जाएगा जो कि विहित की जाए.

(६) आश्रय शुल्क ऐसी रीति में संग्रहीत किया जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा जो कि विहित की जाए.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में कतिपय संशोधन प्रभावित हैं.

२. प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:—

(१) तेरहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को, नगरपालिकाओं की संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण प्रदान करना चाहिए तथा उसके वार्षिकी तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ-साथ नगरपालिकाओं का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे जाने चाहिए. राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का विनिश्चय किया है ताकि राज्य सरकार को उत्तरवर्ती राजवित्तीय वर्ष के लिए अपने निष्पादन अनुदान को निकालने के लिए सक्षम बना सके. तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यथोचित संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं.

(२) राज्य में, कालोनियों के विकास में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के लिए भू-खण्ड या आवास गृह चिन्हित करने संबंधी उपबंध को युक्तियुक्त करने की दृष्टि से यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

(३) मध्यप्रदेश में, उद्योगों के लिए सहायक वातावरण बनाने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि भवन अनुज्ञा की शक्तियां, जिला उद्योग और व्यापार केन्द्र के महाप्रबंधक या औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के प्रबंध संचालक या औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम के प्रबंध संचालक की अध्यक्षता वाली समिति को प्रत्यायोजित की जाएं. नगरपालिक निगम की दशा में, कलक्टर और संबंधित निगम के आयुक्त के प्रतिनिधि के सदस्य होंगे जबकि नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् की दशा में मुख्य नगरपालिका अधिकारी और कलक्टर का एक प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक १८ नवम्बर, २०११.

बाबूलाल गौर
भारसाधक सदस्य.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ में विभिन्न संशोधन प्रस्तावित हैं. प्रस्तावित संशोधनों के फलस्वरूप राजकोष पर कोई वित्तीय भार अन्तर्ग्रस्त नहीं है.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ के खण्ड २ एवं ३ के द्वारा राज्य सरकार को विधायिनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:—

भाग-एक: खण्ड-२

उपखण्ड (२) (१) संपरीक्षा शुल्क के भुगतान;

(२) (ख) किसी कालोनी में आवासगृहों के आकार, संख्या तथा अवस्थिति के संबंध;

(३) कालोनी में भू-खण्डों/आवासगृहों के मूल्य के निर्धारण तथा उसके लिए व्यक्तियों के चयन तथा विक्रय;

(४) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए क्षेत्र एवं आकार के आरक्षण के संबंध में;

(५ एवं ६) आश्रय शुल्क अधिरोपित करने, उसके संग्रहण तथा उपयोग के संबंध में;

उपखण्ड (४) भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने के लिए गठित समिति में निहित शक्तियों के प्रयोग की रीति;

भाग-दो : खण्ड-३

उपखण्ड (३) भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने के लिए गठित समिति में निहित शक्तियों के प्रयोग की रीति;

उपखण्ड (४) (१) कालोनी निर्माण के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया;

(२) किसी कालोनी में आवासगृहों के आकार, संख्या तथा अवस्थिति के संबंध में प्रक्रिया;

(३) कालोनी में भू-खण्डों/आवासगृहों के मूल्य के निर्धारण तथा उसके लिए व्यक्तियों के चयन/विक्रय के लिए प्रक्रिया;

(५) आश्रय शुल्क अधिरोपित करने, उसके संग्रहण तथा उपयोग के संबंध में प्रक्रिया;

सुनिश्चित किये जाने के संबंध में नियम बनाए जाएंगे, उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.